राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 347/2009/जयपुर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत प्रथम, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स केसरी वनस्पति प्रोडक्टस लि0,
50–ए, सरोजनी मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये प्रकाशन अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 22/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 1431/अपील्स–II/सीएसटी/जयपुर "बी"/99–2000 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.1999 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित धारा 29, 65, 58 एवं 61 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी के कर निर्धारण वर्ष 1996–97 का आदेश पारित करते हुए रिफाइन्ड ऑयल की बिक्री रूपये 35,74,313.63 के फार्म "एफ' पेश नहीं करने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर रूपये 71,486/– का आरोपित किया गया है तथा फार्म "सी" के अभाव में अतिरिक्त कर रूपये 16,313/– आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में तृतीय तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र 25 दिन से देरी से प्रस्तुत करने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 250/– की आरोपित की गई तथा वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र एसटी 5ए के विलम्ब से पेश करने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 500/– आरोपित की गयी। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया तथा धारा

लगातार.....2

61 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 250/– को अपास्त किया एवं शास्ति रूपये 500/– को यथावत रखा। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

5. एकपक्षीय राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में बकाया घोषणा पत्र 'सी' एवं 'एफ' के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि दिनांक 31.10.2008 तक प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में घोषणा पत्रों को स्वीकार करते हुए तद्नुसार सृजित मांग में कमी की जावे। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

7. इसी प्रकार बिक्री विवरण प्रपत्र एस.टी.5ए विलम्ब से पेश किये जाने के बिन्दु पर अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 500/– की पुष्टि की गयी है एवं शास्ति रूपये 250/– के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे। अतः इस बिन्दु पर भी अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

8. उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं होने से अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष